13/6/22

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 ने दौराने बहस पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बृसिंहबास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 444/24 रकवा 0.1111 हैक्टे0 की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 26.12.2021 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर [illegible]

निर्णय सरे [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:54:10 IST
Reason: SelfAttested

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner